कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

क्रमांक :– एफ1( )लेखा/देव/उदय/2023/700 दिनांक :– 15-3-2023

ई–निविदा सूचना संख्या - 07/2022–23

देवस्थान विभाग के स्वामित्व की विद्यमान राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री सरदार स्वरूप श्याम जी (मांजी का मंदिर) उदयपुर, के पास स्थित विभाग के स्वामित्व की भूमि पर स्थित घाट एवं तिबारियों पर से प्रवेश शुल्क, प्रीवेडिंग शूटिंग हेतु 1 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रक्रिया स्वरूप ई–निविदा प्रक्रिया द्वारा दी जानी है। इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनी से (आरक्षित मूल्य 6000000/– अक्षरे साठ लाख रूपये मात्र वार्षिक) ऑनलाइन ई–निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निलामी/बोली दर आमंत्रित की जाती हैं। दस्तावेज ऑन लाईन डाउनलोड एवं प्रस्तुत किये जाने की दिनांक 17.03.2023 से 27.03.2023 एवं तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक 28.03.2023 है। निविदा सम्बन्धित विरतृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.devasthan.rajasthan.gov.in पर देखी/ डाउनलोड की जा सकती है। उक्त कार्य हेतु प्री–बिड बैठक दिनांक 20.03.2023 समय प्रातः 11.30 वजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, सूरजपोल उदयपुर में सहायक आयुक्त के कक्ष में आयोजित की जावेगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

क्रमांक :– एफ1( )लेखा/देव/उदय/2023/701–723 दिनांक :– 15.3.2023

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय,देवस्थान राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, देवस्थान विभाग जयपुर।
3. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, संभाग उदयपुर
4. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेवसाइड पर अपलोड करवाने हेतु।
5. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 3012 दिनांक 17.10.2022 के क्रम में कमेटी में मनोनित सदस्य हेतु उपस्थित होने के लिये।
8. श्रीमान् कोषाधिकारी, उदयपुर(शहर)
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी,देवस्थान विभाग राजस्थान,उदयपुर।
10. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर / ऋषभदेव/कोटा /वृन्दावन/हनुमानगढ/जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय नोटीस बोर्ड चस्पा एवं प्रचार प्रसार बावत्।
11. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/ कार्यालय हाजा/कार्यालय जिला कलेक्टर/संबंधित मंदिर नोटिस बोर्ड।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

क्रमांक :– एफ1( )लेखा/देव/उदय/2023/700 दिनांक :– 15.3.2023

ई–निविदा सूचना संख्या 07/ 2022–23

देवस्थान विभाग के स्वामित्व की विद्यमान राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री सरदार स्वरूप श्याम जी (मांजी का मंदिर) उदयपुर, के पास स्थित विभाग के स्वामित्व की भूमि पर स्थित घाट एवं तिबारियों पर प्रवेश शुल्क, प्रीवेडिंग शूटिंग शुल्क संग्रहण हेतु 1 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप ई–निविदा प्रकिया स्वरूप ठेका पर देने के लिये इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनी निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई–निविदा प्रक्रिया के अन्तर्गत निलामी/बोली दर आमंत्रित की जाती हैं।

क्र.सं.	सम्पदा का विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोली शुल्क (रूपये में)	अमानत राशि ड्राफ्ट(रूपयों में)	ई–बोली प्रकिया शुल्क रू. में (प्रोसेसिंग फीस)
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री सरदार स्वरूप श्याम जी (मांजी का मंदिर) उदयपुर स्थित तिबारिया व घाट पर प्रवेश शुल्क, प्रीवेडिंग शुटिंग शुल्क संग्रहण हेतु 1 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप ठेका पर देने बाबत्।	60.00 लाख रू. वार्षिक **(Exclusive of all taxes)**	1000	120000 (आरक्षित मूल्य का 2 प्रतिशत)	1500

नोट :– बिड के साथ 6.00 लाख रू. की बैक गारण्टी (3 माह की वैद्यता के साथ) की प्रति अपलोड करनी होगी तथा मूल पत्र निर्धारित दिनांक को भौतिक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।	
बिड संख्या UBN NO.	
बोली दस्तावेज ऑन लाईन डाउनलोड करने की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 17.03.2023 प्रातः 11.00 बजे से। बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्री बीड मीटींग की दिनांक समय व स्थान	दिनांक 20.03.2023 समय प्रातः 11.30 बजे स्थान सहायक आयुक्त, कक्ष कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ,सूरजपोल, उदयपुर राजस्थान
बोली शुल्क, अमानत राशि, बोली प्रतिभूति (बैक गारण्टी), प्रोसेसिंग फीस के डीडी ऑफ लाईन प्रस्तुत करने का स्थान, अन्तिम तिथि एवं समय (निविदा हेतु डी.डी. दिनांक 27.03.2023 समय दोपहर 02.00 बजे से पहले के बने हुए होने चाहिये)	दिनांक 27.03.2023 सायं 06.00 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग होटल देवदर्शन परिसर सूरजपोल ,उदयपुर
बोली दस्तावेज ऑन लाईन अपलोड करने की प्रारम्भ व अन्तिम दिनांक व समय	दिनांक 17.03.2023 प्रातः 11.30 बजे से दिनांक 27.03.2023 समय दोपहर 02.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान	दिनांक 28.03.2023 समय प्रातः 11.30 बजे कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग सूरजपोल उदयपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं को वित्तीय बिड खोलने के संबंध में पृथक से सूचना दी जाएगी। वित्तीय बिड सलंग्न प्रपत्र एच में ऑन लाईन भरी जाएगी।

ई– निविदा में भाग लेने की शर्तें–

1. यह निविदा वेबसाइट www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www. devsthan.rajasthan.gov.in पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। निलामी में भाग लेने हेतु वेबसाइट www. eproc.rajasthan.gov.in पर द्वि–भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निलामी दर प्रस्तावित किये जा सकेगें।

2. निविदा प्रपत्र वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक डाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड निर्धारित दिनांक एवं समय पर समिति द्वारा खोली जाएगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनी की वित्तीय बिड निर्धारित दिनांक व समय पर खोली जावेगी।

3. निविदा सूचना सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत(धरोहर राशि) राशि के अलग-अलग डी.डी. **सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर** के नाम उदयपुर में भुगतान योग्य बनवानी होगी। क्रम संख्या 6 मे अंकित प्रक्रिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट **मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा तथा आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि की प्रतिभूति राशि 600000/- रूपये की बैक गारन्टी(तीन माह की वैद्यता के साथ) पत्र व उक्त तीनों डी.डी. की प्रति आनलाईन अपलोड करनी होगी। ऑनलाईन अपलोड करने के उपरान्त बोलीदाता द्वारा प्रतिभूति राशि की वैक गारण्टी पत्र, बोली शुल्क, धरोहर राशि व प्रक्रिया शुल्क के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है। निर्धारित दिनांक एवं समय पर उक्त समस्त डी.डी व बैक गारण्टी ऑफलाईन तथा ऑनलाईन दोनो ही प्रक्रिया से प्राप्त नही होने की दशा में सम्बन्धित बोलीदाता के ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा।

4. निविदादाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 6.00 लाख रूपये की बैंक गारन्टी जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी तथा 3 माह की अवधि तक मान्य होगी, को निर्धारित दिनांक को दस्तावेज के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

5. सफल संवेदक को कार्यादेश जारी होने के 3 दिवस में प्रथम द्विमास की राशि जमा करवाया जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात् ही सम्पदा पर कार्य करने की अनुमति दी जावेगी।

6. सफल निविदादाता को अधिकतम दर की 15 प्रतिशत राशि की बैंक गारन्टी (15 माह की अवधि की) कार्यादेश जारी होने के तीन दिवस में जमा करानी होगी। इसके पश्चात् बिड के साथ प्रस्तुत पूर्व की बैंक गारण्टी लौटा दी जायेगी। द्विमासिक भुगतान राशि द्विमास प्रारम्भ से एक माह पूर्व जमा करानी होगी।उदाहरणार्थ निम्नानुसार सारणी-जनवरी फरवरी इस द्विमास से पहले वाले माह दिसम्बर की 10 तारिख तक जमा करवाना दूसरा उक्त राशि में विलम्ब होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा, त्रेमास प्रारम्भ तक राशि जमा नही कराने की दशा में दर संविदा निरस्त कर दी जावेगी।

7. भुगतान की शर्ते-भुगतान द्विमासिक, द्विमास प्रारम्भ से एक माह पूर्व जमा करानी होगी।उदाहरणार्थ निम्नानुसार सारणी-

कम संख्या	द्विमास का विवरण	जमा कराने की दिनांक एवं माह
1	अप्रेल, मई 2023,	कार्यादेश प्राप्त होने के तीन दिवस में
2	जून, जुलाई 2023,	10 मई
3	अगस्त, सितम्बर 2023	10 जुलाई
4	अक्टुबर, नवम्बर 2023	10 सितम्बर
5	दिसम्बर 2023, जनवरी 2024	10 नवम्बर
6	फरवरी ,मार्च 2024	10 जनवरी

नोट:- कॉलम संख्या 3 में अंकित दिनांक तक राशि जमा नही करवाये जाने एवं विलम्ब होने पर 12 प्रतिशत पूरे माह का वार्षिक ब्याज देय होगा।

8. किसी भी स्तर पर निविदा को स्वीकार करने एवं विना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निलामी समिति के पास सुरक्षित है,तथा निलामी समिति द्वारा अनुशंषा किये जाने पर बिड को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अंतिम निर्णय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा किया जावेगा।

9. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि एवं बैक गारण्टी राशि जब्ति/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

10. ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

(अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव निलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियो/ फर्मो/कम्पनियो को इन्टरनेट साईट http:// www. eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक बोली में लॉग–ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

(ब) निविदादाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि) में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी निलामी प्रस्ताव भौतिक रूप में स्वीकार नही होगा।

(स) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है। यथा बिड दस्तावेज, शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र,आधार कार्ड, पेन कार्ड, जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रति बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे। उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नही करने/लागु नही होने की स्थिति में विडदाता द्वारा 50 रूपये के नॉन ज्युदिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. उक्त निलामी में GF&AR,RTPPAct 2012 &RTPP Rules 2013,एवं समय–समय पर जारी अन्य विभागीय नियम व निर्देश कानून स्वतः लागू होगें।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

सवेंदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पंजीकरण विवरण :–प्रपत्र

क. स.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आय कर (पैन नंबर)				
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

नोट :– उपरोक्त के सम्बन्ध में लागू नही होने की दशा सफलतम बोलीदाता से कार्यारम्भ के पूर्व वचन पत्र (under taking) लिया जा सकेगा।

12. बोली स्वीकृति की सूचना उपरान्त तीन कार्य दिवस में नियमानुसार अनुबन्ध तहरीर कर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ठेके की स्वीकृति की सूचना देते ही तीन कार्य दिवस में ठेकेदार को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र स्वयं के खर्च पर निष्पादित करना होगा । अन्यथा धरोहर राशि व बैक गारण्टी जब्ती की कार्यवाही की जाकर आपकी बोली निरस्त कर दी जावेगी।

13. संवेदक द्वारा पर्यटक/केमरामेन को दी जाने वाली रसीद/कुपन छपाई से पूर्व प्रारूप का अनुमोदन सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर से करवाना आवश्यक होगा।

प्रवेश शुल्क, प्रीवेडिंग शूटिंग शुल्क की दरे निम्नानुसार रहेगीः–

क्र.स.	विवरण	भारतीय नागरिक (प्रतिदिन)	विदेशी नागरिक (प्रतिदिन)
01.	प्रवेश शुल्क (मोबाईल सहित)	20/–	100/–
02.	प्रीवेडिंग शूटींग शुल्क (प्रतिजोड़ा/प्रतिदिन) (केमरा/मोबाईल/ड्रोन आदि किसी भी माध्यम से) • अधिकतम 10 व्यक्ति अनुमत • उक्त राशि में प्रवेश शुल्क भी सम्मिलित है। जिसके लिये पृथक से प्रवेश शुल्क नही लिया जावेगा।	3000/–	3000/–
03.	फोटो केमरा (मोबाईल केमरे के अलावा) मोबाईल से फोटोग्राफी का कोई प्रभार नहीं होगा।	200/–	200/–

नोट– (1) अभिभावक के साथ आने वाले 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे उक्त शुल्क से मुक्त रहेगें।

(2) उक्त शुल्क के अलावा अन्य किसी भी तरह का कोई भी शुल्क संवेदक द्वारा वसूलनीय नहीं होगा।

(3) संवेदक मंदिर संपदा,घाट,तिबारियों इत्यादि के संबंध में बिना देवस्थान विभाग के सक्षम अनुमति के कोई परिवर्तन नही करेगा।

(4) किसी तरह के नृत्य कार्यक्रम की कोई अनुमति किसी रूप में देय नहीं होगी।

(5) उपरोक्त दरों का प्रदर्शन बोर्ड पर, द्वार पर सुस्पष्ट अक्षरों में हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा में करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त विभाग भी अपने स्तर पर निविदा व अन्य संबन्ध में बोर्ड लगा सकेगा।

14. पर्यटको के स्वेच्छा से सामान्य/विशिष्ट वेशभूषा में रंगीन फोटो खीचाने पर निविदादाता निविदा के दौरान रंगीन फोटोग्राफी का चार्ज (विशिष्ट वेशभूषा सहित) पर्यटको से निम्न प्रकार ले सकेगा तथा इससे अधिक राशि वसूल नही कर सकेगा। जिसके लिये संवेदक अधिकतम 2 काउन्टर लगा सकेगा। यह दरे 3X4 फीट के बोर्ड पर कार्य स्थल पर डिस्प्ले करनी होगी।

क्र.स	साईज	दर प्रति फोटो मय प्रिन्ट	दर प्रति अतिरिक्त फोटो मय प्रिन्ट
1	6"x 8"	100.00	50.00
2	8"x 10"	150.00	75.00
3	10"x 12"	200.00	100.00

15. निविदा भरने की अंतिम दिनांक को देवस्थान विभाग की किसी प्रकार की कोई राशि बकाया होने पर संवेदक की विड पर विचार नहीं किया जावेगा।

16. मंदिर पुजा व्यवस्था/दर्शन ईत्यादि व्यवस्था एवं मुण्डन संस्कार या अन्य धार्मिक गतिविधिया पूर्वतः राजकीय नियमों की पालना अनुसार यथावत रहेगें इसमें संवेदक किसी प्रकार का व्यवधान या शुल्क वसूल नही करेगें तथा उक्त घाट पर कोई भी अन्य आयोजन सहायक आयुक्त की विना सक्षम की स्वीकृति के नही होगें।

17. निविदा मात्र प्रवेश शुल्क व प्रिवेडिंग फोटो शूट शुल्क के लिये आमंत्रित की जा रही है। मंदिर दर्शन, श्रावणी उपाकर्म, कियाकर्म, ईत्यादी आयोजन के लिये प्रवेश निःशुल्क रहेगा। निविदादाता को अपने स्वयं के खर्चे से घाट परिसर में साफ–सफाई, विद्युत–पानी, जन सुविधा की व्यवस्था आवश्यकरूप से सुनिश्चित करनी होगी इस हेतु संबंधित विभाग से स्वीकृति संवेदक स्वयं को लेनी होगी,साथ ही मंदिर मर्यादा का ध्यान रखना होगा।

18. संवेदक द्वारा स्थल का संचालन/संधारण एवं राशि संग्रहण का समय रात्रि दस बजे अथवा जिला प्रशासन से अनुमत समय तक संचालन किया जा सकेगा तथा आम नागरिको के लिये प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे तक प्रवेश निःशुल्क रहेगा,किन्तु प्रीवेडिंग शूट हेतु शुल्क में किसी भी तरह की छुट नही होकर निर्धारित शुल्क देय होगा।

19. संवेदक को उषा काल व संध्या कालीन कार्यक्रम भजन/राग (Morning & Evening Ragas/Bhajan programme) आयोजित करने की अनुमति होगी।इसकी सामग्री का पूर्व अनुमोदन सहायक आयुक्त देवस्थान खण्ड उदयपुर से कराना होगा।

20. जिला प्रशासन/विभाग की अनुमति से आयोजित होने वाले राजकीय अथवा विशेष उद्देश्यार्थ कार्यक्रम/स्वीकृतियों आदि के कारण यदि घाट पर प्रवेश शुल्क, फोटोग्राफी, प्रीवेडींग शुट आदि का कार्य बन्द रहता है तो ऐसे दशा में वर्ष भर 15 (पन्द्रह) दिवस की अवधि का कोई मुआवजा, क्षतिपूर्ति/राशि कटौती नही की जावेगी और ना ही उक्त अवधि की निविदा अवधि आगे बढाई जावेगी। इस प्रकार आयोजित होने वाले कार्यक्रम में यदि कोई राजस्व अर्जित होता है तो उक्त राजस्व में किसी भी प्रकार का हिस्सा संवेदक को नही दिया जावेगा। इस प्रकार के आयोजन की अवधि 15 दिवस से अधिक होती है तो संवेदक द्वारा आयोजनकर्ता से 25,000/– प्रतिदिन की दर से प्रभार लिया जा सकेगा।

21. ठेका परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तथा झील किनारे सुरक्षात्मक उपाय तथा लाईफ सेविंग उपकरण/तैराक/गोताखोर/ की उचित एवं समुचित व्यवस्था संवेदक को स्वयं के स्तर से करनी आवश्यक होगी एवं की गई व्यवस्था की सूचना सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग को देनी हागी।

22. प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि दशा में यदि उक्त कार्य लगातार 7 दिवस तक बन्द रहने पर किसी तरह से कोई क्षतिपूर्ति/राशि कटोती/अवधि बढाने संबंधी कोई रियायत देय नही होगी। इससे अधिक अवधि तक कार्य बन्द रहता है तो इस प्रकार बन्द रहने वाली अवधि को संवेदक के आवेदन पर आगे बढाई जा सकेगी अथवा भुगतान अनुपातिक रूप से समायोजन रहेगा। ऐसी दशा में अन्तिम निर्णय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा लिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा, महामारी आदि दशा में यदि उक्त कार्य साप्ताहिक तौर पर बन्द रहता है और ऐसी अवधि टुकडो में मिलाकर 7 दिवस से अधिक होती तो ऐसी दशा में भी निविदा अवधि को आगे बढाने पर विचार नही किया जाएगा ओर किसी तरह से कोई क्षतिपूर्ति/राशि कटोती/अवधि बढाने संबंधी कोई रियायत नही होगी।

23. सफल निविदादाता की कार्य प्रभार वसूली इत्यादि बाबत यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी शिकायत की जॉच करायी जाएगी तथा शिकायत सही पाये जाने की दशा में प्रथम बार में 0.25 लाख दूसरी बार में 1.00 लाख व तीसरी बार में 2.00 लाख रूपये की शास्ति

लगाई जाएगी तथा चौथी बार शिकायत सही पायी जाती है तो निविदा निरस्त की जाएगी तथा संवेदक की विभाग में जमा समस्त प्रकार जमा राशि जब्त की जाकर राजकीय कोष में जमा कर ली जावेगी।

24. मंदिर परिसर में पूर्व में संचालित व्यवस्था अनुसार जहां–जहां पर फोटो शुट/प्रीवेडिंग शूट अनुमत किया जा रहा है, वही पर निविदा अवधि में भी फोटोशूट/प्रीवेडिंग शूट अनुमत रहेगा।
25. यदि किसी प्री वेडिंग शूटिंग/ड्रोन इत्यादि हेतु किसी राजकीय प्राधिकरण की कोई अनुमति अपेक्षित होगी तो संबधित संवेदक/प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को स्वयं ही प्राप्त करनी होगी।
26. संवेदक द्वारा तबारिया , घाट व विभागीय भूमि पर कोई भी दुकान, रेहड़ी पट्टा, उठाउ पल्ली आदि नहीं लगाई जावेगी तथा संपदा में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन नही किया जावेगा।
27. तवारिया, घाट पर स्थित विभागीय भूमि पर पानी, बिजली जनरेटर व फैंसिंग की समस्त व्यवस्थाएँ ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
28. साफ सफाई, सुरक्षा, रोशनी एवं सी सी टीवी केमरा आदि की व्यवस्था का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक स्वयं का होगा जिसमें देवस्थान विभाग द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा।
29. निर्धारित तिबारिया ,घाट के संवेदक सिर्फ प्री वेडिंग शूटिंग व प्रवेश शुल्क कार्य प्रयोजनार्थ के लिये काम में लेगा उसका अन्य किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों के रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा ।
30. निविदादाता को व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त बेरीकेडिंग करवाने का कार्य स्वंय के खर्चे पर करवाना होगा जिसमें पेड़ या पोधों को हानि नही पहुँचाई जावे। ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार की अमानत एवं अन्य जमा राशि को जब्त किया जा सकेगा।
31. संवेदक को निर्धारित स्थल पर बोर्ड लगाने होगें जिस पर शुल्क आदि का विवरण अंकित करना होगा बोर्ड नही लगाने की स्थिति में ठेकेदार पर पेनेल्टी लगाई जावेगी ।तथा बोर्ड पर लिखी जाने वाली विषय वस्तु का अनुमोदन सहायक आयुक्त खण्ड उदयपुर से कराना होगा।
32. संविदा अवधि 31.03.2024 तक मान्य होगी तथा अगर किसी कारणवश अनुबंध अवधि समाप्त हो जाने एवं नवीन निविदा प्रक्रिया नही होने की दशा में अनुबंध अवधि RTPP नियमो के अन्तर्गत दोनो पक्षो (संवेदक एवं देवस्थान विभाग) की सहमति से नियमानुसार बढायी जा सकेगी।
33. शर्तयुक्त निविदा/बोली दर मान्य नहीं होगी।
34. सफलतम बोलीदाता अधिकतम बोली/सर्वाधिक लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा।

शर्ते भाग ब –

1. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :–बोलीदाता आपराधिक पृष्ठ भूमि का नही होना चाहिये। बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना आधार नं.,पैन नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी देना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप मे प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. यदि कोई साझेदारी फर्म बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्ट्रर्ड साझेदारी संलेख प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी, अन्यथा बोली मे भाग नही ले सकती।
3. सर्वाधिक लाभप्रद उच्चतम बोलीदाता के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित किये जाएगे। जिनका निर्णय अंतिम रहेगा।
4. घाट/तिबारीया ठेके पर संचालन के लिये देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना अधिकतम बोलीदाता को मिलने के पश्चात् तीन दिन के अन्दर उसे नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र स्वयं के व्यय पर निष्पादित करना आवश्यक होगा तथा निर्धारित अवधि मे अनुबंध पत्र निष्पादित नही करने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप मे हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति ,बैंक गारन्टी मय अग्रिम जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं विभाग पुनः नयी बोली कर सकेगा अथवा घाट/तिबारीया ठेके पर संचालन का उपयोग अन्य विकल्प के रूप मे कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही कार्य की अनुमति दी जायेगी।

5. अनुबंधकर्ता को उक्त ठेके की राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित आयकर राशि, जीएसटी अन्य कोई भी कर/शुल्क, का भुगतान स्वयं करना होगा एवं जी.एस.टी.आई.एन. नम्बर की प्रति सलंग्न करनी होगी। इस प्रकृति के कार्यो के सम्बन्धित अन्य कर आदि का समस्त उत्तरदायित्व स्वंय बोलीदाता का होगा।

6. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते मे डी.डी./चैक रूप में सहायक आयुक्त देवस्थान के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा,

7. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली पानी इत्यादि का अस्थायी कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा सम्बन्धित बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे बकाया राशि वसूली के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

8. यदि अनुवंधकर्ता निर्धारित समय पर संपदा रिक्त नही करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुए उसके विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

9. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर निगम उदयपुर या राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानो के कारण आपत्ति व्यक्त की गई तो इस संबंध मे सम्पदा संबंधी प्रावधानो एवं नियमो का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुवंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इस हेतु किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति देय नही होगी।

10. अनुबन्ध पत्र मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर संवेदक के विरूद्ध घाट/तिबारियों से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर घाट/तिबारीया ठेके पर संचालन की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगीं।

11. ठेके की अवधि मे संवेदक की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे संवेदक का अनुबन्ध विधिक वारिसान से प्राप्त आवेदन को छोडकर स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विधिक वारिसान के आवेदन पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

12. घाट/तिबारियों की संपदा की व्यवस्था संबंधी प्रावधानः–

(1) संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी एवं बिड अवधि समाप्ति पश्चात् जिस स्थिति में सुपुर्द की गयी थी, उसी स्थिति में विभाग को वापस सुपुर्द करनी होगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा।

(2) घाट/तिबारियों की संपदा में अनुवंधकर्ता किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की विना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी, एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता स्वंय के व्यय पर करायेगा।

13. देवस्थान विभाग के अधिकारी/निरीक्षक/कार्मिक द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा।

14. बोलीदाता को संबंधित विभाग से वांछित लाईसेंस यदि आवश्यक हो तो स्वंय प्राप्त करना होगा तथा कक्ष में उसे प्रदर्शित करना होगा।

15. अनुबंध पत्र के निष्पादन मे देय स्टॉम्प–शुल्क और जो भी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व ठेकाधारक का होगा।

16. अनुबंधकर्ता सम्पदा मे किसी प्रकार के निर्माण/परिवर्तन की अनुमति नही होगी।

17. अनुबंधकर्ता को सम्पदा के साईनबोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की सम्पदा अंकित करना आवश्यक होगा एवं निर्धारित राशि का शुल्क का विवरण भी बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा जिसका अनुमोदन सहायक आयुक्त कार्यालय से करवाना आवश्यक होगा।

18. विभाग द्वारा सम्पदा जैसी भी स्थिति मे है अनुवंधकर्ता को सुपुर्द की जायेगी, विभाग किसी प्रकार की मरम्मत एवं परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नही होगा।
19. संवेदक एवं अन्य कोई भी व्यक्ति धार्मिक मर्यादाओं एवं मंदिर मर्यादाओं के विरूद्ध/विपरित किसी प्रकार का व्यवसाय/कार्य जैसे– मांस, मदिरा आदि का व्यवसाय नही करेगा। निर्धारित प्रवेश शुल्क वसूली कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यवसाय अथवा कार्य करने की अनुमति नही होगी।
20. संवेदक परिसर मे किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नही देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
21. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा संपदा मे रख सकेगा तथा उसको संवेदक को विना बाधा के सम्पदा मे सदृश्य रूप मे लगाना होगा।
22. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को संवेदक किसी भी प्रकार की हानि नही पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। संवेदक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा वनाई विभागीय नीति से वाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा ठेका पर दिये जाने की स्वीकृति मे यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संवंधित संवेदक (वाध्य) होगा।
23. राज्य सरकार या नगर निगम उदयपुर, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा यदि सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो संवेदक को ठेके की राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा।
24. वोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुवंधकर्ता नही रखेगा। यदि संवेदक ने शर्तो की अवहेलना की तो नियमानुसार वेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।
25. संवेदक के लिये कार्य करने वाले कर्मचारियों पर श्रम विभाग की सभी शर्ते लागु होगी जिसे संवेदक को मानना वाध्यकारी होगा।
26. एक से अधिक व्यक्तियों की प्राप्त दरे समान होने पर अधिक उपयुक्त वोलीदाता (जो कि मंदिर की कार्य संस्कृति से जुडा हुआ हो) को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
27. सशर्त निविदा स्वीकार नही होगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
उदयपुर

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त उदयपुर देवस्थान विभाग उदयपुर

तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त उदयपुर देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)	....
3	बिड का प्रकार Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in	
4	कार्य का विवरण	राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री सरदार स्वरूप श्याम जी (मांजी का मंदिर) उदयपुर स्थित तिवारिया व घाट पर से प्रवेश शुल्क व प्रीवेडिंग शूटिंग हेतु कार्यादेश दिये जाने की दिनांक से 1 वर्ष के लिये संचालन व संधारण कार्य।
5	ठेके की अनुमानित राशि (एक वर्ष के लिये (Exclusive of all taxes))	6000000/– **(Yearly, Exclusive of all taxes)**
6	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता... .... टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न... मोबाईल नम्बर एवं. ई–मेल आइडी .... वैब साईट..	
7	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर के पक्ष में ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं............. ....दिनांक.......................................राशि रूपये...........................बैंक ब्रांच का नाम.................... .... (डी.डी. /बी.सी. मूल ही संलग्न करना होगा)
8	अमानत राशि	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग–––के पक्ष में डी.डी. नं./बी.सी. नं....................................... दिनांक..............................राशि रूपये.......................... ..बैंक ब्रांच का नाम.. (डी.डी. /बी.सी. मूल ही संलग्न करना होगा)
9	बिड प्रतिभूति राशि (बैक गारण्टी 3 माह की वैद्यता अवधि)	600000/– नाम बैक...
10	प्रोसेसिंग फीस राशि/डी.डी. नम्बर	Managing director RISL Payble at jaipur के नाम डी.डी. संख्या/राशि..
11	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण Constitution of the firm whether/proprietorship/ partnership/company	स्थिति(कम्पनी/संस्था/फर्म/कार्पोरेट बॉडी/वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि) ....

	(a) In case of proprietorship firm:-	नाम... पिता का नाम... पता... पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का पता............................... पंजियन की वैद्यता..
	(b) In case of partnership firm	नाम... पिता का नाम... पता... .... Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)
	(c) In case of company (Note-Enclose the Registration certificate of company)	Name & Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक.............................. पंजियन अधिकारी का पता............................... .... पंजियन की वैद्यता..
12	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक यदि होतो	....
13	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	....
14	आधार कार्ड नम्बर	....
15	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या... बैक/ब्रांच का नाम... आईएफएससी कोड...
16	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	....
17	बिडर का बायोडेटा	एनेक्सर ....पर संलग्न है।

(1) मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में सभी शर्ते/नियमों को पढ़कर समझ ली है, जो मुझे स्वीकार हैं।

(2) मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल को भौतिक रूप से देख लिया गया है।

दिनांकः

हस्ताक्षर मय सील (बोलीदाता)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,उदयपुर

वित्तीय बोली

SCHEUDLE "H "

क्र.सं.	मद संख्या	मद विवरण	आरक्षित मूल्य (वार्शिक)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली वार्षिक ठेका राशि (Exclussive all Taxes)
1	1	राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री सरदार स्वरूप श्याम जी (मांजी का मंदिर) उदयपुर स्थित तिवारिया व घाट पर से प्रवेश शुल्क व प्रीवेडिंग शूटिंग संग्रहण हेतु एक वर्ष के लिये संचालन व संधारण कार्य।	6000000/– (साठ लाख रूपये मात्र)	राशि अंको में.............................. राशि शब्दो में...

विडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
कम्पनी का नाम(यदि कोई हो तो)
विड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
का नाम विवरण सहित
मोवाईल नं.
मेल आईडी

नोट :–

1. प्रस्तावित दर E-Proc वेवसाईट पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. तवारिया व घाट संचालन पर लगने वाले सभी प्रकार के कर प्रभारो एवं अनुज्ञप्तियों इत्यादि पर लगने वाले प्रभारो की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

हस्ताक्षर मय सील बोलीदाता

Annexure A:

Compliance with the code of integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall- Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process; Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation; Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process; Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process; Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process; Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

Disclose conflict of interest. If any and Disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to: Have controlling partners/shareholders in common; or Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;or Have the same legal representative for purpose of the Bid; or Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the Bidding Process: or The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participation as a bidder, in more than one Bid; or The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure A:

Compliance with the code of integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall- Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process; Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation; Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process; Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process; Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process; Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

Disclose conflict of interest. If any and Disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest:-

The bidder participating in a bidding process must not have a conflict of interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with application laws and regulations. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to: Have controlling partners/shareholders in common; or Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;or Have the same legal representative for purpose of the Bid; or Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the Bidding Process: or The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participation as a bidder, in more than one Bid; or The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure B:

Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No............................Dated........................

I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

I/we have fullfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the state Government or any local authority as specified in th Bidding Document:

I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons:

I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misreprentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure C:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner Devasthan Department Udaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Sec. Devasthan Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

Filling an appeal:- If any Bidder or prospective bidderis aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings. Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expenditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or Prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the ordre passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:- Determination of need of procurement Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process. The decision of whether or not to enter into negotiations.Cancellation of a procurement process. Applicability of the provisions of confidentiality.

Form of Appeal:- An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against. If any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee. Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

Fee for filing appeal:- Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand. Which shall be non-refundable. The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a sheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Procedure for disposal of appeal:- The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing. On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
(i) hear all the parties to appeal present before him: and
(ii) peruse of inspect documents, relevent records or copies thereof relating to the matter.
After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No. 1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..of..........................

Before .... (first/second Appellate Authority)

Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

Name and address of the respondent (s):

(i)

(ii)

(iii)

Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved.

If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

Number of affidavits and documents enclosed with the appeal

Grounds of appeal ....

....

....

....(Suppoted by an affidavit)

Prayer...

....

....

....

....

Place....................................

Date......................................

Appellant's Signature

Annexure D:

Additional Conditions of Contract

Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following If these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals. The subtotals shall prevail and total shall be corrected: and If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors.Its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Decleration shall be executed.

Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contact, the quality of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent. Of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) if the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last

Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder. Whose Bid is accepted. However,when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entity quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address: